


27.03.25

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण के नाम से अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उप० नहीं।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण अपने आवेदन को लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिहाना प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 'अदम-पैरवी' व 'अदम-हाजिरी' में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व नंबर से कम हो।


सहायक कलक्टर
(S.D.O.), जाड़मेर